



नस्लीय समानता के प्रोत्साहन पर

मौजूदा और नियोजित उपाय

प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अध्यादेश (कैप. 619) (अध्यादेश) के तहत स्थापित किया गया है। आयोग को एक प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है जो व्यापार के मुक्त प्रवाह, दक्षता और नवाचार के लिए अनुकूल हो, इसलिए यह उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और वस्तुओं तथा सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता और कीमतों को लाता है। आयोग जनता की नस्लीय पृष्ठभूमि के बावजूद सभी सदस्यों द्वारा अपनी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्व देता है।

(A) जनता की शिकायतें

सम्बंधित अध्यादेश के संभावित उल्लंघन की पहचान करने के लिए
सेवाएं आयोग को शिकायत करने के लिए जनता के लिए चैनल प्रदान
करना।

मौजूदा कोई भी व्यक्ति जो शिकायत करना चाहता है, वह आयोग से
फोन / पोस्ट / ईमेल / ऑनलाइन शिकायत फार्म / व्यक्तिगत
रूप (केवल अपॉइंटमेंट द्वारा) से संपर्क कर सकता है।

उपरोक्त चैनलों में चीनी और/या अंग्रेजी का उपयोग किया जा
सकता है।

जहां आवश्यक और उचित होगा वहां भाषा सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी।

भविष्य के काम का आकलन जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोग समय समय पर उपायों की समीक्षा करेगा।

अतिरिक्त लिये गये / लिये जाने वाले उपाय आयोग उन उपयोगकर्ताओं, जिन्हें व्याख्या / अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता है, के बारे में "व्याख्या / अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता" और "पसंदीदा भाषा" की जानकारी एकत्र करेगा, ताकि नस्लीय समानता पर हमारी नीतियों और उपायों के प्रभाव का आकलन हो सके, और सेवा के निरंतर सुधार को सक्षम बनाया जा सके।

(B) प्रतिस्पर्धा अध्यादेश को बढ़ावा देना

सम्बंधित सेवाएं प्रतिस्पर्धा के मूल्य, और अध्यादेश कैसे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान और अन्य पहल करना।

मौजूदा उपाय शिक्षा सामग्री (जैसे वीडियो, पत्रक, विवरणिका और दिशानिर्देश) और अभियानों की जानकारी चीनी और अंग्रेजी में दी गई है।

अध्यादेश पर सेमिनार और विवरण का आयोजन कैंटोनीज और अंग्रेजी में किया जाता है। जहाँ आवश्यक और उचित होगा, वहां समकालिक अनुवाद सेवा की व्यवस्था की जाएगी।

आयोग की वेबसाइट पर चीनी और अंग्रेजी में कानून और मार्गदर्शन, परामर्श और सार्वजनिक रजिस्टर आदि जैसी जानकारी उपलब्ध है।

भविष्य के काम का आयोग उपरोक्त उपायों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता आकलन अनुसार उन्हें बढ़ाएगा।

(C) कर्मचारी प्रशिक्षण

सम्बंधित आयोग अपने वैधानिक कार्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
सेवाएं

मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तथा कार्यस्थल में नस्ल-संबंधी मुद्दों के प्रति उनकी जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ईमेल अलर्ट प्रसारित किए जाएंगे। प्रासंगिक दिशा-निर्देश और जानकारी उनके आसान संदर्भ के लिए इंट्रानेट पर केंद्रीकृत की गई है।

भविष्य के काम का आयोग कार्यस्थल में भेदभाव-विरोधी और नस्लीय समानता के आकलन मुद्दों को शामिल करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करेगा। कार्यस्थल में नस्लीय समानता के बारे

में उनकी समझ को गहरा करने के लिए कर्मचारियों को विविधता और समानता पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा।

अतिरिक्त लिये गये / आवश्यकतानुसार, आयोग सभी कर्मचारियों को अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता के लिए समान अवसर आयोग या अन्य गैर-सरकारी संगठनों से संपर्क करेगा, जिससे कार्यस्थल पर नस्लीय भेदभाव के मुद्दों के बारे में उनकी समझ मजबूत होगी।
लिये जाने वाले
उपाय

पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से प्रशासन अधिकारी, मिस आना युंग (Ms. Anna Yeung) से संपर्क करें –

टेलीफोन: 3462 2118

फैक्स: 2522 4997

ईमेल: enquiry@compcomm.hk

डाक का पता: 19/F, साउथ आइलैंड प्लेस, 8 वोंग चुक हांग रोड़,

वोंग चुक हांग, हांगकांग

Postal address (Eng) : 19/F, South Island Place, 8 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong

प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission)

मई 2025